न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/6/2021 दायर दिनांक 11.01.2021

उनवान

1. वहीद खां पिता युसुफ जाति मुसलमान निवासी कपासन हाल निवासी मावली जिला उदयपुर ।

वादी।

बनाम

1. अजीज मोहम्मद पुत्र युसुफ जाति मुसलमान निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. इसाक पुत्र युसुफ जाति मुसलमान निवासी कपासन हाल निवास वल्लभनगर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।
3. तहसीलदार कपासन (भू–अभिलेख) तहसील कपासन।

प्रतिवादीगण।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांकः 31.03.2021

–:निर्णयः–

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1–2 सिविल प्रकिया संहिता जा0दी0 धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट के इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा कपासन पटवार हल्का कपासन ए तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी के हाल खाता संख्या 80 के आराजी संख्या 2568 रकबा 0.30 है0 स्थित है उक्त आराजीयात राजस्व रेकार्ड में अब्दुल वाहक के नाम 1/3 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 1 अजीज मोहम्मद के नाम 1/3 हिस्से से तथा प्रतिवादी संख्या 2 इसाक के नाम 1/3 हिस्से से संयुक्त खातेदारी अधिकार से अंकित है।

वादगत आराजी के साबिक आराजी खसरा संख्या 3427/2 क्षेत्रफल 1 बीघा 7 बिस्वा है। वादगत आराजी पक्षकारगण की पैतृक सम्पति होकर पक्षकारगण के पिता युसुफ पुत्र मुसा मुसलमान निवासी कपासन के स्वामित्व आधिपत्य एवं कब्जे की थी। पक्षकारान के पिता युसुफ का सन 1979 में इन्तकाल हो गया। स्वर्गीय युसुफ की विरासत का नामान्तरकरण जरिये नामान्तरकरण प्रविष्टि क्रमांक 1585 पर दर्ज होकर स्वीकृति दिनांक 14.06.1979 को हुई। माफिक इन्तकाल जमाबन्दी संवत् 2032 से 33 में पटवार हल्का कपासन द्वारा अमल दरामद किया गया। तदनुसार मृत्तक युसुफ के बजाय इसाक बालिग, अब्दुल वाहक, अजीज मोहम्मद पिता युसुफ नाबालिग बविलायत माता मु0 जन्नतबाई बेवा युसुफ हिस्सा बराबर नाम अंकन हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.06.17 13:47:27 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नामान्तरकरण में लिपिकीय भूल से मुझ वादी का नाम वहीद खां के बजाय अब्दुल वाहक अंकित हो गया। मुझ वादी का आधार कार्ड , मतदाता पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड आदि सभी दस्तावेजात में वहीद खां ही अंकित है, तथा मेरा नाम अब्दुल वाहक नहीं होकर वहीद खां ही है जिससे यह घोषित कराया जाना आवश्यक है कि वादगत आराजी का वर्तमान राजस्व रेकार्ड का अंकन गलत है तथा अब्दुल वाहक के स्थान पर वहीद खां अंकित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

अतः वादी ने निवेदन किया कि वाद पत्र में उल्लेखित आराजी खसरा संख्या 2568 क्षे0 0.30 है0 के वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अब्दुल वाहक गलत अंकित होने से अब्दुल वाहक के स्थान पर वहीद खां अंकित किये जाने की घोषणा का निर्णय एवं डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावें।

हमने वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने हाजिर होकर जवाब इकबालिया प्रस्तुत किया। साथ ही साक्ष्यवादी में वादी स्वयं व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किये। दस्तावेज अंकन कराये। जिसमें जमाबन्दी की नकल की प्रतिलिपी प्रदर्श–1 है। जमाबन्दी आधार वर्ष संवंत् 2052 प्रदर्श–2 है। नकल जमाबन्दी संवंत् 2060–2063 जिसमें इन्तकाल नंबर 1256 दिनांक 10.05.2006 विरासत से नामान्तरकरण करने का उल्लेख है, पेश की जो प्रदर्श–3 है। नकल नामान्तरकरण प्रविष्टि क्रमांक 1256 पेश किया जो प्रदर्श–4 है, इसमें अब्दुल वाहक , अजीज मोहम्मद को बालिग होने एवं जन्नतबाई पत्नि युसुफ की मृत्यु का उल्लेख है, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–5, नकल जमाबन्दी संवंत् 2030–2033 युसुफ के बजाय अजीज मोहम्मद , अब्दुल वाहक बविलायत माता मु0 जन्नतबाई का उल्लेख है जो प्रदर्श–6 है, नकल नामान्तरकरण प्रविष्टि क्रमांक 1585 जिसमें युसुफ खां की विरासत से नामान्तरकरण निर्णित किया गया एवं उसका अमल दरामद खाता एवं खसरा में करने का उल्लेख है। उक्त इन्तकाल की पुश्त पर तहसीलदार कपासन का आदेश अंकित है जो प्रदर्श–7 है। परिवार का राशनकार्ड की प्रतिलिपी प्रदर्श–8 है, जिसमें वादी का नाम वहीद खां अंकित है। वादी का आधार कार्ड की फोटो प्रति प्रदर्श–9 जिसमें वादी का नाम वहीद खां अंकित है भारत निर्वाचन आयोग का फोटो युक्त पहचान पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श–10 है, जिसमें वादी का नाम वहीद खां अंकित है। वादी के ड्राईविंग लाईसेन्स की फोटोप्रति प्रदर्श–11 जिसमें वादी का नाम वहीद खां अंकित है। जन आधारकार्ड की फोटो प्रति पेश की जो प्रदर्श–12 है जिसमें वादी नाम वहिद खां अंकित है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में यह अंकित किया है कि राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी में अब्दुल वाहक के बजाय वहीद खां अंकित किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.06.17 13:47:27 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया । की गयी बहस पर मनन किया। वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में वहीद खॉ किया जाना न्यायोचित व उचित प्रतीत होता है।

अतः यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा कपासन पटवार हल्का कपासन ए तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी के हाल खाता संख्या 80 के आराजी संख्या 2568 रकबा 0.30 है0 में अंकित अब्दुल वाहक पुत्र युसुफ हिस्सा 1/3 जाति मुसलमान सा. देह के बजाय वहीद खां पुत्र युसुफ हिस्सा 1/3 जाति मुसलमान सा. देह दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है, शेष बद्स्तुर रहें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.06.17 13:47:27 IST
Reason: SelfAttested